समाहरणालय, कैमूर

जिला सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय कैमूर (भभुआ) फोन नं. 06189-224906

Email - dpro-kai@prdbihar.gov.in

संख्या :- 74

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक :- 1/6/18

भभुआ. जिला बाल कल्याण समिति की बैठक शुक्रवार को जिला पदाधिकारी डॉ० नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में सम्पन्न हुई। जिसमें उन्होंने कहा कि गुमशुदा, अनाथ, मंदबुद्धि और बाल श्रम के शिकार बच्चों के लिये परवरिश ~~[illegible]~~ सरकार का कल्याणकारी योजना है। बैठक के आरम्भ में सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई आलोक रंजन ने बाल कल्याण के योजनाओं और अब तक किये गये कार्यों की विस्तृत जानकारी सदस्यों को दी। परवरिश योजना के सम्बंध में डी.एम. डा० चौधरी ने बताया कि शून्य से 18 वर्ष तक के अनाथ बच्चे और एड्स एवं कुष्ठ पीड़ित व्यक्ति के बच्चे को भरण पोषण के लिये सरकार के द्वारा एक हजार रुपये की सहायता राशि दी जाती है। उन्होंने सी.डी.पी.ओ. के माध्यम से इस आशय का पत्र प्राप्त करने का निदेश दिया कि आंगनबाड़ी केन्द्र के पोषक क्षेत्र में कोई अनाथ बच्चा या एड्स-कुष्ठ पीड़ित (जिनके हाथ टेढ़े हो गये हो) परिवार का कोई बच्चा नहीं है। इस कार्य में डी.एम. ने विकास मित्र से भी सहायता लेने का निदेश सहायक निदेशक को दिया। बैठक में बताया गया कि अभी छह बच्चे बाल गृह में हैं, जो मंद बुद्धि के हैं, जो अपना अता-पता और माँ-पिता के बारे में बता नहीं पा रहे हैं। इस पर जिलाधिकारी ने आस-पास के जिलों से सहायता प्राप्त करने का निदेश (ई-मेल के द्वारा) दिया। उन्होंने बच्चों को औपचारिक शिक्षा से जोड़ने के लिये उन्हें विशेष शिक्षण माध्यम (ऑडियो-विडीयो थेरेपी) के अलावा विद्यालयों के आम बच्चों के बीच ~~[illegible]~~ रखने की आवश्यकता बताते हुये कहा कि इससे मंदबुद्धि के बच्चों का मानसिक विकास होगा। भभुआ स्थित विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान, जहाँ फिलहाल छह शिशु हैं, के कार्यप्रणाली को सहायक निदेशक श्री रंजन ने असंतोषजनक बताया। दत्तक ग्रहण संस्थान को ज्ञानभारती, पटना नामक संस्था चलाती है। डी.एम. डा० चौधरी ने कहा कि संस्था अपने में सुधार नहीं लाती है तो कारवाई हेतु प्रस्ताव दें। बैठक में परवरिश योजना से लाभान्वितों की संख्या - 97 और अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन से लाभान्वितों की चार बतायी गयी। बैठक में सभी थानों में बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी (सी.डब्लू.पी.ओ.) के प्रशिक्षण के सम्बंध में दिशा निदेश डी.एम. के द्वारा दिया गया।

जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी,
कैमूर (भभुआ)